प्रकाशन हेतु अनुमोदित

<u>छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर</u>

कोरम: माननीय श्री टी.पी. शर्मा एवं

माननीय श्री एन.के.अग्रवाल, न्यायाधीशगण

<u>दांडिक अपील संख्या 1104 वर्ष 2003</u>

ईश्वरी प्रसाद साहू

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य

<u>निर्णय विचारार्थ प्रस्तुत</u>

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-

टी.पी.शर्मा न्यायाधीश

माननीय श्री एन.के.अग्रवाल

सही/-

एन.के.अग्रवाल न्यायाधीश

<u>निर्णय हेतु सूचीबद्ध करे</u> : 21-1-2010

सही/-

टी.पी.शर्मा न्यायाधीश

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

दांडिक अपील संख्या 1104 वर्ष 2003

कोरम: **माननीय श्री टी.पी.शर्मा एवं**

माननीय श्री एन.के.अग्रवाल, न्यायाधीशगण

अपीलार्थी: **ईश्वरी प्रसाद साहू पुत्र केशवराम साहू निवासी जिला अछोली थाना खरोरा जिला रायपुर, छत्तीसगढ़**

बनाम

प्रत्यर्थी: **छत्तीसगढ़ राज्य, थाना नेवारा जिला रायपुर (छत्तीसगढ़)**

(दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 374 (2) के अंतर्गत आपराधिक अपील)

उपस्थित:- **श्री विवेक राठौर, अपीलकर्ता के अधिवक्ता।**

श्री अखिल मिश्रा, राज्य/प्रतिवादी के लिए सरकारी अधिवक्ता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

आदेश

(21 जनवरी, 2010 को दिया गया)

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति टी.पी.शर्मा द्वारा सुनाया गया:-

1.इस अपील में चुनौती 9वें अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एफ.टी.सी.), रायपुर द्वारा सत्र परीक्षण क्रमांक 21/2002 में दिनांक 30.6.2003 को पारित दोषसिद्धि और सजा के फैसले को है, जिसके तहत विद्वान 9वें अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 392 और 455 के तहत दंडनीय अपराध के लिए अपीलार्थी को दोषी ठहराते हुए उसे आजीवन कारावास और 1000/- रुपये का जुर्माना भरने, जुर्माना न भरने पर छह महीने का सश्रम कारावास, तीन साल का सश्रम कारावास और 500/- रुपये का जुर्माना भरने, जुर्माना न भरने पर तीन महीने

का सश्रम कारावास और तीन साल का सश्रम कारावास और 500/- रुपये का जुर्माना भरने, जुर्माना न भरने पर तीन माह का कठोर कारावास भुगतना होगा।

2.निर्णय को इस आधार पर चुनौती दी गई है कि बिना किसी विश्वसनीय और निर्णायक साक्ष्य के, विचारण न्यायालय ने अपीलकर्ता को उपर्युक्त रूप में दोषी ठहराया और सजा सुनाई है और इस प्रकार अवैधानिकता की है।

3.अभियोजन पक्ष का मामला, संक्षेप में, यह है कि 13.12.2001 के दुर्भाग्यपूर्ण दिन दोपहर 11 से 12 बजे के बीच, मृतका मनेश्वरी अपने घर में मौजूद थी, अपीलार्थी उसके घर में घुस गया और उसके साथ बलात्कार किया। बलात्कार करने के बाद, उसने मृतका की संपत्ति की वस्तुओं की लूटपाट भी की और हत्या जो प्रकृति में कारित मानव वध किया। देहाती नालिशी को प्र.पी/1 के तहत दर्ज किया गया था। प्र.पी/5 के तहत गवाहों को बुलाने के बाद, मृतका के शव पर प्र.पी /6 के तहत जांच तैयार की गई थी। प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी/2 के तहत दर्ज की गई थी। शव को शव-परीक्षण के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, नेवरा भेजा गया था। डॉ. कु. मीना सैमुअल (पीडब्लू-2) द्वारा प्र.पी/3 के तहत शव-परीक्षण किया गया और निम्नलिखित चोटें पाई गईं:-

गर्दन पर 5" x 3" x 2" का कटा हुआ घाव। श्वासनली दिखाई दे रही थी:

बाएं कंधे पर 2" x 1" x 1" का घाव। खून निकल रहा था;

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. मृत्यु का कारण गर्दन पर घातक चोट के परिणामस्वरूप गंभीर रक्तस्राव था और मृत्यु हत्या की प्रकृति की थी। खून से सनी मिट्टी, सादी मिट्टी, खून से सनी चूड़ियों का टुकड़ा, दो हेयर क्लिप, खून से सना नाई के चाकू का एक हत्था और खून से सनी एक चादर घटनास्थल से बरामद की गई थी, जिसमें प्र.पी/8 है। घटना के 5 दिन बाद 18.12.2001 को अपीलार्थी को हिरासत में लिया गया था। उसने टूटे हुए नाई के चाकू, मोटर साइकिल, हार का टूटा हुआ टुकड़ा (मंगलसूत्र), लॉकेट, पायल, गुरिया, खून से सने कपड़े और 3100 रुपये प्र.पी/13 के बारे में खुलासा किया था। अपीलार्थी ने नाई के चाकू का खून से सना तेज पुराना हिस्सा पेश किया है। इसे प्र.पी/14 के जरिए बरामद किया गया था। खून से सना स्वेटर फुल पेंट, शर्ट, 3100/- रुपये और अंडरवियर अपीलार्थी की निशानदेही पर प्र.पी/15 के तहत बरामद किए गए। आभूषणों की बिक्री से संबंधित तीन रसीदें रमेश कुमार से प्र.पी/17 के तहत बरामद की गईं। मंगलसूत्र का टुकड़ा, चांदी की पायल और कैश मेमो (प्र.पी/11) अपीलार्थी की निशानदेही पर प्र.पी/12 के तहत संजय कुमार से जब्त किए गए। रजिस्टर सुपर्दनामा में संजय कुमार को प्र.पी/13 के तहत दिया गया मौका नक्शा जांच अधिकारी द्वारा प्र.पी/18 के तहत तैयार किया गया मौका नक्शा पटवारी द्वारा भी प्र.पी/9 के तहत तैयार किया गया। हार और धागे की काली गुरिया अपीलार्थी की निशानदेही पर प्र.पी/19 के तहत बरामद की गई। मोटर साइकिल बाबज एम 80 जब्त वस्तुओं को प्र.पी./21 के तहत चिकित्सा विश्लेषण

के लिए भेजा गया। अभियुक्त/अपीलार्थी के नाई के चाकू और कपड़ों पर खून की मौजूदगी की पुष्टि प्र.पी./25 के तहत विधि विज्ञान प्रयोगशाला, रायपुर द्वारा की गई।

5. गवाहों के बयान दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (जिसे आगे 'दंड प्रक्रिया संहिता' कहा जाएगा) की धारा 161 के अंतर्गत दर्ज किए गए। जाँच पूरी होने के बाद, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायपुर के न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया, जिन्होंने मामले को सत्र न्यायाधीश, रायपुर के न्यायालय को सौंप दिया, जहाँ से नवम अपर सत्र न्यायाधीश (एफ.टी.सी.), रायपुर को विचारण हेतु मामला स्थानांतरित कर दिया गया।

6.अभियुक्त/अपीलार्थी के अपराध को साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष ने 17 गवाहों से पूछताछ की। अभियुक्त/अपीलार्थी का बयान भी संहिता की धारा 313 के तहत दर्ज किया गया, जिसमें उसने अपने खिलाफ प्रस्तुत परिस्थितियों से इनकार किया और स्वयं के निर्दोष होने का अभिवाक किया। अपीलार्थी ने बचाव पक्ष की गवाह श्रीमती रत्ना बाई (बचाव साक्षी-1), ग्राम पंचायत नेवढ़ा की सरपंच से भी पूछताछ की, जिन्होंने बताया कि घटना के दिन सड़क का निर्माण कार्य चल रहा था और लगभग 11 बजे अपीलार्थी उनसे मिलने आया और लगभग 5 से 10 मिनट की चर्चा के बाद, वह अपीलार्थी के साथ नेवरा गाँव चली गईं। अपीलार्थी/अभियुक्त ने उन्हें बताया कि अपने भाई की मोटर साइकिल लौटाकर वह अछोली गांव वापस जाएगा।अपीलार्थी ने अपनी योग्यता का दावा किया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात्, 9वें अपर सत्र न्यायाधीश (एफ.टी.सी.), रायपुर ने अपीलार्थी को उपरोक्तानुसार दोषी करार देते हुए दण्डित किया है।

8. हमने अपीलार्थी के अधिवक्ता श्री विवेक राठौर और राज्य के उप-सरकारी अधिवक्ता श्री अखिल मिश्रा को सुना है और विचारण न्यायालय के आक्षेपित निर्णय और अभिलेख का अवलोकन किया है।

9. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने दृढ़ता से तर्क दिया कि वर्तमान मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य और अभियुक्त/अपीलार्थी के कहने पर तथ्यों के खुलासे पर आधारित है। परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धि के मामले में अभियोजन पक्ष को परिस्थितियों की पूरी श्रृंखला साबित करनी होगी जो केवल अपीलार्थी के अपराध का अनुमान लगाने के लिए पर्याप्त हो। केवल तथ्यों का खुलासा अपराध के होने का कोई अनुमान लगाने के लिए पर्याप्त नहीं है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष ने यह दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं दिया है कि अपीलार्थी एकमात्र व्यक्ति है जिसने उपरोक्त अपराध किए हैं और अपीलार्थी के अलावा किसी और ने ये अपराध नहीं किए हैं। ऐसे सबूतों के अभाव में अपीलार्थी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। हालांकि गंभीर संदेह

सबूत का स्थान नहीं ले सकता और केवल इस आधार पर कि अपराध जघन्य है, अपीलार्थी या किसी निर्दोष व्यक्ति पर दायित्व नहीं लगाया जा सकता।

10. दूसरी ओर, विद्वान सरकारी वकील ने आक्षेपित निर्णय का समर्थन किया और तर्क दिया कि वर्तमान मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर आधारित है, जिसमें अपीलार्थी द्वारा किए गए तथ्यों का खुलासा भी शामिल है, जो अपीलार्थी को दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त हैं। अभियोजन पक्ष ने परिस्थितियों की एक श्रृंखला पूरी कर ली है जो यह निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त है कि अपीलार्थी ही एकमात्र व्यक्ति है जिसने अपराध किए हैं और उसके अलावा किसी और ने अपराध नहीं किए हैं।

11. पक्षों की ओर से प्रस्तुत तर्कों को समझने के लिए, हमने अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री की जाँच की है। वर्तमान मामले में, अपीलार्थी द्वारा मृत्यु-पूर्व उपहति के परिणामस्वरूप हुई हत्या का कोई ठोस खंडन नहीं किया गया है। वस्तुतः वर्तमान मामले में,अपीलार्थी का बचाव इस आधार पर है कि अपराध के समय वह घटनास्थल पर मौजूद नहीं था। दूसरी ओर, डॉ. कुमारी मीना सैमुअल (अ.सा-2) के साक्ष्य और शव-परीक्षण रिपोर्ट (प्र.पी/3) द्वारा घातक चोट के परिणामस्वरूप हुई हत्या की पुष्टि होती है, जिससे पता चलता है कि मृतका मनेश्वरी की मृत्यु उसकी गर्दन पर लगी घातक चोट के परिणामस्वरूप हुई, जो मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त थी और मृत्यु की प्रकृति हत्या थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. जहां तक प्रश्नगत अपराध में अभियुक्त/अपीलार्थी की संलिप्तता का संबंध है, वर्तमान मामला निम्नलिखित परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है,

मृतक के घर के सामने लाल मोटर साइकिल की उपस्थिति;

वही मोटर साइकिल अभियुक्त/ अपीलार्थी द्वारा अपने रिश्तेदार मलिक राम (अ.सा-7) से गांव अछोली से ली गई थी और प्रासंगिक समय पर वह मोटर साइकिल उसके कब्जे में थी;

अपीलार्थी की निशानदेही पर खून से सना हुआ नाई का चाकू का तेज टुकड़ा और खून से सने कपड़े बरामद किए गए;

अपीलार्थी ने आभूषण दुकानदार को बेच दिए हैं;

(v) मृतका ने अपनी मृत्यु से पहले आभूषण पहने हुए थे और वे आभूषण उसकी मृत्यु के बाद गायब हो गए थे तथा अपीलार्थी के कहने पर बरामद किए गए थे;

vi) अपीलार्थी की निशानदेही पर मृतक के आभूषण बरामद किए गए;

(vii) मृतका के पति द्वारा आभूषणों की पहचान की गई और पाया गया कि वे मृतका मनेश्वरी के थे।

13. प्रथम दृष्टया, देहाती नालिशी का मामला प्र.पी./1 के तहत दर्ज किया गया तथा प्राथमिकी भी प्र.पी./2 के तहत दर्ज की गई। मृतक मानेश्वरी के शव की जांच प्र.पी./6 के तहत तैयार की गई तथा उस पर घातक चोटें पाई गईं मृतका का शरीर। श्रीमती महेश्वरीबाई वर्मा (अ.सा-3) ने अपने साक्ष्य में कहा है कि 13 दिसंबर, 2001 को दोपहर लगभग 12 बजे वह रुखमणी के साथ अपने घर में मौजूद थीं। मृतका मानेश्वरी के बच्चे, विवेक वर्मा और विक्रम वर्मा उनके घर आए और बताया कि मानेश्वरी का शरीर पड़ा है। वह बच्चों के साथ गईं, जहां उन्होंने मानेश्वरी का रक्तरंजित शव देखा। श्रीमती रुखमणी बाई (अ.सा-4) ने भी उपरोक्त तथ्यों की पुष्टि की है। रामबाई (अ.सा-5) ने अपने साक्ष्य में कहा है कि घटना के समय उन्होंने शिक्षक यानी मृतका के पति के घर के सामने एक लाल रंग का वाहन देखा था। बचाव पक्ष ने इस गवाह से विस्तार से जिरह की, लेकिन मृतका के घर के सामने लाल रंग के वाहन के खड़े होने से संबंधित तथ्य को चुनौती नहीं दी गई।

13. अभियुक्त/अपीलार्थी के रिश्तेदार मालिकराम साहू (अ.सा-7) ने अपने साक्ष्य में यह बयान दिया है कि 12 दिसंबर, 2001 को अपीलार्थी उसके घर आया था। वह उसके घर पर रुका और दूसरे दिन उसने सुबह 10.30 बजे नेवढ़ा गाँव जाने के लिए अपनी लाल रंग की बजाज एम 80 मोटर साइकिल मांगी, जो उसने दे दी। वह लगभग रात 8.30 बजे अपने घर वापस आया और अपनी पत्नी शांति बाई (अ.सा-6) से पूछताछ की, जिसने उसे बताया कि अपीलार्थी लगभग 12 बजे दोपहर वापस आया और मोटर साइकिल छोड़कर वह अछोली गाँव चला गया। मालिकराम साहू ने यह भी बयान दिया है कि 14.12.2001 को उसने अखबार में खबर पढ़ी कि नेवढ़ा में हत्या हुई है और जिस घर में हत्या हुई है, उसके सामने लाल रंग की मोटर साइकिल खड़ी है। उन्होंने यह मान लिया कि प्रासंगिक समय पर, वर्तमान अपीलार्थी के पास उसकी लाल रंग की मोटरसाइकिल थी, जिसका चोरी और डकैती के आपराधिक इतिहास रहा है। उन्होंने नेवरा पुलिस स्टेशन जाकर पुलिस को बताया कि उनके चचेरे भाई यानी वर्तमान अपीलार्थी ने प्रासंगिक समय पर उनकी मोटरसाइकिल ले ली थी। पुलिस ने 18.12.2001 को एक्स.पी/7 के तहत उनकी मोटरसाइकिल जब्त कर ली। मालिकराम (अ.सा-7) की पत्नी शांति बाई (अ.सा-6) ने भी मालिकराम के साक्ष्य की पुष्टि की और गवाही दी कि अपीलार्थी ने उन्हें बताया था कि जिस व्यक्ति से वह मिलना चाहता था, वह किसी तरह से मिल गया, इसलिए वह वापस लौट आया। अपीलार्थी चला गया मलिकराम के घर में मोटरसाइकिल रखी थी और मलिकराम की पत्नी से कहा था कि वह अछोली गांव जाएगा। शांति बाई (अ.सा-6) और मलिकराम (अ.सा-7) की जिरह में अपीलार्थी द्वारा मलिकराम से लाल रंग की मोटरसाइकिल लेने और संबंधित समय पर उसके कब्जे से संबंधित बयान को चुनौती नहीं दी गई है। अपीलार्थी ने बचाव पक्ष की गवाह श्रीमती रत्ना बाई से जिरह की है जिन्होंने भी स्वीकार किया है कि अपीलार्थी के पास मोटरसाइकिल थी और कुछ समय बाद वह वापस चला गया। अपीलार्थी ने संहिता की धारा 313 के तहत अपनी परीक्षा में कहा है कि उसने घटना के दिनांक को मलिकराम से मोटरसाइकिल ली थी और कुछ समय बाद उसे वापस कर दिया था। अपीलार्थी ने संबंधित समय पर मोटरसाइकिल रखने की बात भी स्वीकार की है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

14. मृतका मानेश्वरी के पति रमेश कुमार वर्मा (अ.सा-16) ने अपने साक्ष्य में कहा है कि 13 दिसंबर, 2001 को वह अपने स्कूल में ड्यूटी पर थे। उन्हें कुछ लोगों ने घर बुलाया था। वह वापस अपने घर गए जहाँ पुलिस मौजूद थी। उनकी पत्नी मानेश्वरी का शव कमरे में खून से सना पड़ा था। उनके शरीर पर चोटों के निशान थे। उनके गले, कान और पैरों में पहने हुए आभूषण, जैसे हार, बाली और एक पायल, गायब थे। मृतका की मृत्यु घातक चोट लगने के कारण हुई थी। मृतका के शरीर से आभूषणों के गायब होने को भी चुनौती नहीं दी गई है।

15. अजय दुबे (अ.सा-14) तत्कालीन थाना प्रभारी, पुलिस स्टेशन नेवरा ने अपने साक्ष्य में कहा है कि उन्होंने अपराध की आंशिक रूप से जांच की है। उन्होंने घटना के 5 दिन बाद 18.12.2001 को अभियुक्त/अपीलार्थी को हिरासत में लिया और पूछताछ की। अभियुक्त ने एक्स.पी/13 के माध्यम से खुलासा बयान दिया कि स्कूल के प्रांगण में नाई के चाकू का टूटा हुआ टुकड़ा, तुलसी गांव में उसके भाई के घर में मोटर साइकिल, हार का टूटा हुआ धागा (मंगलसूत्र), पादरीडीह स्टॉप डैम के पास गुरिया, बलौदा बाजार में दुकानदार के पास सोने का लॉकेट, सोने की गुरिया और एक चांदी की पायल मिली है। उन्होंने यह भी कहा है कि अपीलार्थी ने खुलासा बयान दिया कि उसके घर में आभूषणों और कपड़ों की बिक्री की रसीदें हैं साक्ष्य है कि प्रकटीकरण बयान दर्ज करने के बाद, वह गवाहों और अभियुक्तों के साथ स्कूल गए, जहां से अपीलार्थी ने झाड़ी से एक नाई का चाकू निकाला, जिसे उसने प्र.पी /14 के तहत जब्त कर लिया। फिर वह अभियुक्तों और गवाहों के साथ अचोली गांव में अपीलार्थी के घर गया, जहां से उसने स्वेटर, फुल पेंट, फुल शर्ट, 3100/- रुपये की बिक्री रसीदें और प्र.पी /15 के तहत एक अंडरवियर पेश किया। उसने रमेश वर्मा से प्र.पी /17 के तहत वस्तुओं की खरीद से संबंधित रसीदें भी जब्त की हैं। वह अभियुक्तों के साथ पादरीडीह स्टॉप डैम के पास भी गया, जहां अभियुक्त ने एक प्लास्टिक धागा और गुरिया के 45 टुकड़े पेश किए, जिन्हें उसने प्र.पी/19 के तहत जब्त कर लिया। उसने प्र.पी/18 के तहत घटनास्थल का नक्शा तैयार किया और वस्तुओं की पहचान के लिए ज्ञापन प्र.पी/20 के तहत भेजा। उन्होंने यह भी बयान दिया है कि वे गवाहों और आरोपियों के साथ चक्रपाणि शुक्ला एंड कंपनी, बलौदा बाजार की दुकान पर गए थे और संजय कुमार से मंगलसूत्र का लॉकेट, सोने के 6 नग और चांदी की पायल जब्त की थी।

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

16. छगनलाल कश्यप (अ.सा-11) ने अपने साक्ष्य में यह बयान दिया है कि अपीलार्थी की निशानदेही पर प्र.पी /14 के तहत नाई का चाकू बरामद किया गया है। अपीलार्थी की निशानदेही पर प्र.पी /15 के तहत कपड़े भी बरामद किए गए हैं। चक्रपाणि शुक्ला एंड कंपनी के क्लर्क (मुनीम) संजय दुबे (अ.सा-9) ने अपने साक्ष्य में यह बयान दिया है कि अपीलार्थी/अभियुक्त, जिसे वह जानता है, 13.12.2001 को लगभग 3.30-4.00 बजे अपराह्न उसकी दुकान पर आया और रसीद संख्या 214 (प्र.पी /11) के तहत एक सोने का लॉकेट, सोने का डेन, कान की बाली और एक पायल बेची। उसने यह भी बयान दिया है कि 4-5 दिन बाद पुलिस अभियुक्त के

साथ आई और प्र.पी/12 के तहत उससे उपरोक्त वस्तुएं जब्त कर लीं। तानाजी जाधव (अ.सा.-10) ने संजय कुमार से आभूषणों की जब्ती से संबंधित साक्ष्य का समर्थन किया है। बचाव पक्ष ने इन गवाहों से विस्तार से जिरह की है। अजय दुबे (अ.सा.-14) ने अपनी प्रति परीक्षण के पैरा 10 में स्वीकार किया है कि नेवरा स्कूल में कोई चारदीवारी नहीं थी। उन्होंने अपनी प्रति परीक्षण के पैरा 12 में स्वीकार किया है कि उन्होंने रसीदों की कार्बन कॉपी जब्त नहीं की है। उन्होंने यह भी स्वीकार किया है कि जिरह के पैरा 12 में उन्होंने बताया कि जिस जगह गुरिया और धागा मिला वह रास्ते से सटा हुआ और व्यस्त जगह है। उन्होंने प्रति परीक्षण के पैरा 14 में यह भी स्वीकार किया है कि उन्होंने पहचान के लिए मोटरसाइकिल नहीं रखी थी। छगनलाल कश्यप (अ.सा-11) ने प्रति परीक्षण में बताया है कि स्कूल कंटीले तारों से घिरा हुआ था और डेढ़ घंटे की तलाशी के बाद उन्हें हथियार मिल गया। अभियुक्त/अपीलार्थी के कपड़े अभियुक्त के घर की एक महिला द्वारा पेश किए जाने के बाद जब्त कर लिए गए और अपीलार्थी भी घर के अंदर गया। संजय दुबे (अ.सा-9) ने प्रति परीक्षण में स्वीकार किया है कि उनके पास लॉकेट, गुरिया, कान की बाली और पायल जैसी अन्य वस्तुएं भी थीं। अपनी प्रति परीक्षण के पैरा 9 में, उन्होंने स्वीकार किया है कि उन्होंने रसीदें क्रमवार जारी की हैं और रसीद संख्या 230 17.12.2001 को और रसीद संख्या 231 से 235 16.12.2001 को जारी की गई हैं। उन्होंने अपनी जिरह के पैरा 9 में यह भी स्वीकार किया है कि रसीदें जारी करने में कोई नियमितता नहीं है। अपनी विस्तृत जिरह में, उन्होंने कहा है कि अपीलकर्ता ही वह व्यक्ति था जो उपरोक्त वस्तुओं के साथ आया था और उन्हें बेचा था, जिसे उन्होंने खरीदा था और कैश मेमो प्र.पी /11 जारी किया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

17. छगनलाल कश्यप (अ.सा-11) और अजय दुबे (अ.सा-14) ने विशेष रूप से यह बयान दिया है कि वे अभियुक्तों के साथ स्कूल गए थे जहां उन्होंने नाई का चाकू जब्त किया और पादरीडीह स्टॉप डैम के पास एक अन्य स्थान भी जहां उन्होंने गुरिया और टूटा हुआ धागा जब्त किया। निश्चित रूप से दोनों स्थान गुप्त स्थान नहीं हैं और अन्य लोगों के लिए आकलन योग्य नहीं हैं, लेकिन छगनलाल कश्यप (प्र.पी -11) के साक्ष्य से पता चलता है कि चाकू दिखाई नहीं दिया और डेढ़ घंटे की लंबी खोज के बाद उन्हें नाई का चाकू मिला। प्र.पी /11 के अनुसार भी, अपीलकर्ता ने चाकू छिपाया नहीं है, बल्कि चाकू को स्कूल के प्रांगण में फेंका है, किसी निश्चित स्थान पर नहीं। गुरिया और धागा महंगी वस्तु नहीं हैं, वे पादरीडीह स्टाफ डैम के पास पड़े थे जो अपीलार्थी की निशानदेही पर बरामद किए गए। बेशक, गुरिया और टूटा हुआ धागा खुले स्थान से जब्त किया गया था लेकिन अभियुक्त/अपीलार्थी के निवास स्थान से नहीं। यह दर्शाता है कि अभियुक्त के पास इस तथ्य का ज्ञान कि गुरिया और टूटा हुआ धागा उस स्थान पर पड़ा हुआ था या मौजूद था जहां से इसे जब्त किया गया है।

18. आभूषणों की पहचान तहसीलदार/कार्यकारी मजिस्ट्रेट वाई.आर.नेतम (अ.सा-17) द्वारा की गई, जिन्होंने अपने साक्ष्य में यह बयान दिया कि उन्हें पुलिस से प्रदर्श.पी/20 के तहत पहचान के लिए अनुरोध प्राप्त हुआ

था। उन्होंने पुलिस को निर्देश दिया कि वे 21.12.2001 को अपराह्न लगभग 3 बजे उनके समक्ष पहचान के लिए आभूषण प्रस्तुत करें। पुलिस ने एक नग सोने का लॉकेट, 6 नग सोने की गुरिया, एक जोड़ी बाली, एक पुरानी पायल प्रस्तुत की। उन्होंने अपनी एजेंसी के माध्यम से भी इसी तरह की वस्तुएं प्राप्त कीं और पहचान के लिए प्राप्त वस्तुओं के साथ उन्हें मिलाया। उन्होंने पहचान के लिए रमेश कुमार वर्मा को बुलाया, जिन्होंने प्रदर्श.पी/23 के तहत पहचान के लिए मिलाई गई अन्य वस्तुओं के बीच वस्तुओं की पहचान की। रमेश कुमार वर्मा (अ.सा-16) ने भी यह बयान दिया कि उन्होंने अन्य आभूषणों के बीच आभूषणों की पहचान इस आधार पर की पुलिस ने उसे पहचान के लिए तहसील कार्यालय भेजा और वस्तुओं की पहचान करने का निर्देश दिया कि वे उसकी पत्नी की हैं या नहीं। वह लगभग 3.30 बजे तहसील कार्यालय गया। उसने अन्य समान आभूषणों के बीच अपनी पत्नी के आभूषण उठाए। अपने विस्तृत जिरह में, उसने यह भी बताया कि वह वस्तुओं की पहचान कैसे कर पाया। बचाव पक्ष ने वाई.आर.नेतम (अ.सा-17) से भी विस्तार से जिरह की, जिसमें उसने विशेष रूप से यह बताया कि पहचान से पहले उसने अन्य समान वस्तुओं को मिलाकर पहचान के लिए रखा था, जिसमें रमेश कुमार वर्मा ने अन्य वस्तुओं के बीच वस्तुओं की पहचान की थी। स्कूल परिसर से अपीलकर्ता की निशानदेही पर नाई के चाकू का हैंडल और नाई के चाकू का तेज हिस्सा बरामद किया गया। अपीलकर्ता का स्वेटर, फुल पेंट और शर्ट अन्य वस्तुओं के साथ रासायनिक विश्लेषण के लिए प्र.पी/21 के तहत भेजा गया

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

19. दिनांक 12.12.2001 को ग्राम तुलसी में अपीलार्थी की उपस्थिति और दिनांक 13.12.2001 को दोपहर में मोटर साइकिल ले जाने और मोटर साइकिल वापस करने की बात अपीलकर्ता ने संहिता की धारा 313 के तहत अपनी जांच में स्वीकार की है श्रीमती रत्नाबाई (अ.सा-1) का साक्ष्य}। अपीलार्थी ने श्रीमती रत्नाबाई (अ.सा-1) के साक्ष्य का बचाव किया है, जिन्होंने यह बयान दिया है कि अपराध के कथित समय पर, अपीलार्थी मोटर साइकिल से उनके पास आया था और चर्चा के बाद वह वापस चला गया। अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य के आलोक में, यह अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन करता है। अपीलार्थी के पास प्रासंगिक समय पर मोटर साइकिल थी, लेकिन अपीलकर्ता की वापसी से संबंधित साक्ष्य सत्य नहीं है।

20. वर्तमान मामले में, साक्ष्य प्रस्तुत करके, अभियोजन पक्ष ने निम्नलिखित परिस्थितियों को स्थापित किया है;

मृतक के पहने हुए आभूषण गायब थे,

दिनांक 12.12.2001 को दोपहर लगभग 12 बजे श्रीमती महेश्वरीबाई वर्मा (अ.सा-3), श्रीमती रुखमणी बाई (अ.सा-4), रामबाई (अ.सा-5), प्रदीप चौबे (अ.सा-8) और रमेश कुमार वर्मा (अ.सा-16) के साक्ष्य के अनुसार, मृतका मनेश्वरी अपने घर में मृत पाई गई, जिसके शरीर पर घातक चोटें थीं।

जैसा कि डॉ. कु. मीना सैमुअल (अ.सा-2) और शव परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श.पी/3 द्वारा बताया गया है, चोटें मृत्युपूर्व थीं और मनेश्वरी की मृत्यु हत्या की प्रकृति की थी।

प्रासंगिक समय पर, मृतका मानेश्वरी के घर के सामने एक लाल मोटर साइकिल देखी गई रामबाई (अ.सा-5) का साक्ष्य),

प्रासंगिक समय पर अपीलार्थी के पास मालिकराम साहू (अ.सा-7) की लाल रंग की एम 80 मोटर साइकिल थी और अपीलार्थी ने मालिकराम साहू की पत्नी शांति बाई (अ.सा 6) से कहा कि वह नेवधा गांव जा रहा है और कुछ देर बाद वह वापस आया और बताया कि जिस व्यक्ति से वह मिलने जा रहा था, वह रास्ते में मिल गया, इसलिए वह वापस आया और मालिकराम साहू के घर में मोटर साइकिल छोड़कर अपीलार्थी चला गया ग्राम अछोली {शांति बाई अ.सा-6) और मालिकराम साहू (अ.सा-7) का साक्ष्य),

अपीलार्थी के पास सोने का लॉकेट, सोने की गुरिया और एक चांदी की पायल थी, जिसे उसने उसी दिन 13.12.2001 को एक्स.पी/11 संजय दुबे (अ.सा-9), छगनलाल कश्यप (अ.सा-11) और अजय दुबे (अभियुक्त-14) के साक्ष्य) के अनुसार बलौदा बाजार में चक्रपाणि शुक्ला एंड कंपनी की दुकान में बेच दिया था। उपरोक्त आभूषण अपीलार्थी द्वारा दिनांक 18.12.2001 को प्र.पी/13 के माध्यम से संजय दुबे संजय दुबे अ.सा-9), तानाजी जाधव (अ.सा-10), छगनलाल कश्यप (अ.सा-11) और अजय दुबे (अ.सा-14) के साक्ष्य से किए गए प्रकटीकरण कथन के आधार पर जब्त किए गए थे। अपीलार्थी द्वारा दिए गए प्रकटीकरण कथन प्रदर्श.पी/13) के आधार पर दिनांक 18.12.2001 को नाई के चाकू के धारदार टुकड़े की बरामदगी, प्रदर्श.पी/14 के अनुसार और नाई के चाकू के धारदार भाग पर खून की उपस्थिति, प्र.पी/25 के अनुसार छगनलाल कश्यप (अ.सा-11) और अजय दुबे (अ.सा-14) का साक्ष्य},अपीलार्थी द्वारा प्रदर्श.पी/19 (अजय दुबे (अ.सा-14) का साक्ष्य) के माध्यम से किए गए प्रकटीकरण विवरण (प्र.पी/13) के आधार पर टूटे धागे और गुरिया की बरामदगी। मृतका ने दिनांक 13.12.2001 को आभूषण पहने हुए थे और अपराध के तुरंत बाद वे आभूषण अपीलार्थी के कब्जे में थे और अपीलार्थी ने उन्हें चक्रपाणि शुक्ला एंड कंपनी, बलौदा बाजार की दुकान को बेच दिया था, जिन्हें जब्त कर लिया गया था और आभूषणों की पहचान मृतका के पति रमेश कुमार वर्मा (अ.सा-16) द्वारा की गई थी कि उक्त वस्तुएं मृतका की वस्तुएं थीं, जिन्हें उसने पहना हुआ था और घटना के बाद वे उसके शरीर से गायब थे। अपीलार्थी की ओर से कोई औचित्य या स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया कि उपरोक्त आभूषण उसके कब्जे में कैसे थे, वह कैसे जानता है कि आभूषण में नुकीले हिस्से की उपस्थिति है स्कूल परिसर में नाई का चाकू और पादरीडीह स्टॉप डैम के पास धागा और गुरिया।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

21. अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 392 और 455 के तहत चोट पहुँचाने, डकैती और हत्या के बराबर की हत्या की तैयारी के बाद घर में घुसकर चोरी करने के आरोप में दोषी ठहराया गया है। यह दोषसिद्धि परिस्थितिजन्य साक्ष्य, अपीलकर्ता द्वारा दिए गए प्रकटीकरण कथन के आधार पर वस्तुओं और हथियार की बरामदगी पर आधारित है।

22. परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धि के मामले में, अभियोजन पक्ष को परिस्थितियों की पूरी श्रृंखला साबित करनी होगी जो इस निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए पर्याप्त हो कि अपीलकर्ता ही वह व्यक्ति है जिसने अपराध किया है और किसी और ने अपराध नहीं किया है। परिस्थितिजन्य साक्ष्य के प्रश्न पर विचार करते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने सी. चेंगा रेड्डी एवं अन्य बनाम आंध्र प्रदेश राज्य[1] के मामले में यह माना कि जब कोई मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित होता है, तो ऐसे साक्ष्य को निम्नलिखित मानदंडों पर खरा उतरना चाहिए:

> जिन परिस्थितियों से दोष का अनुमान लगाया जा रहा है, उन्हें स्पष्ट रूप से और दृढ़ता से स्थापित किया जाना चाहिए;
>
> वे परिस्थितियां निश्चित प्रवृत्ति की होनी चाहिए जो अभियुक्त के अपराध की ओर स्पष्ट रूप से इंगित करती हों;
>
> परिस्थितियों को संचयी रूप से एक ऐसी पूर्ण श्रृंखला बनानी चाहिए कि इस निष्कर्ष से कोई बच न सके कि सभी मानवीय संभावनाओं के भीतर अपराध अभियुक्त द्वारा ही किया गया था, किसी अन्य द्वारा नहीं; तथा
>
> दोषसिद्धि को बनाए रखने के लिए परिस्थितिजन्य साक्ष्य पूर्ण होना चाहिए तथा अभियुक्त के अपराध के अलावा किसी अन्य परिकल्पना की व्याख्या करने में असमर्थ होना चाहिए और ऐसा साक्ष्य न केवल अभियुक्त के अपराध के अनुरूप होना चाहिए बल्कि उसकी निर्दोषता के साथ भी असंगत होना चाहिए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

23. सरदार खान बनाम कर्नाटक राज्य[2] के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित मामले में, अभियुक्त के अपराध को साबित करने के लिए निम्नलिखित आवश्यक तत्व आवश्यक हैं:

> जिन परिस्थितियों से निष्कर्ष निकाला जाता है, वे पूरी तरह सिद्ध होनी चाहिए।
>
> परिस्थितियाँ निर्णायक होनी चाहिए।
>
> इस प्रकार स्थापित सभी तथ्य केवल निम्नलिखित के अनुरूप होने चाहिए दोषी होने की परिकल्पना और अभियुक्त की निर्दोषता के साथ असंगत।

परिस्थितियों में अभियुक्त के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के दोषी होने की संभावना को बाहर रखा जाना चाहिए।

24. वर्तमान मामले में, अपीलार्थी के विरुद्ध सिद्ध परिस्थितियाँ यह हैं कि अपराध के समय, मालिकराम की मोटर साइकिल, जिसे अपीलार्थी ने ले लिया था, मृतका के घर के सामने खड़ी थी। मृतका की हत्या कर दी गई थी और उसके शरीर से आभूषण छीन लिए गए थे। उसी दिन, मृतका ने जो आभूषण सुपुर्दगी के समय पहने हुए थे, वे अपीलार्थी के पास पाए गए, जिन्हें उसने बलौदा बाजार में बेच दिया। अपीलार्थी द्वारा दिए गए प्रकटीकरण कथन के आधार पर, उसकी निशानदेही पर आभूषण बरामद किए गए। उसकी निशानदेही पर नाई के चाकू का नुकीला भाग, हार का टूटा हुआ टुकड़ा अर्थात् प्लास्टिक का धागा और गुरिया बरामद किया गया। नाई के चाकू का हत्था मौके पर पाया गया। यदि इन परिस्थितियों पर एक साथ विचार किया जाए, तो यह निर्विवाद निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त होगा कि केवल अपीलार्थी ही वह व्यक्ति था जिसने मृतका के घर में प्रवेश किया और उसे घातक चोटें पहुँचाईं, जिससे उसकी मृत्यु हो गई और उसके शरीर से आभूषण निकालकर पादरीडीह स्टॉप डैम के पास धागा और गुरिया फेंककर दुकानदार को बेच दिए। यह वही व्यक्ति है जिसने स्कूल परिसर में नाई के चाकू का टुकड़ा फेंका था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

25. अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य परिस्थितियों की पूरी श्रृंखला है और अभियुक्त के अपराध के अलावा किसी अन्य परिकल्पना की व्याख्या करने में असमर्थ है और अभियुक्त के निर्दोष होने या अभियुक्त के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अपराध किए जाने की संभावना को खारिज करता है।

26. अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के पश्चात, निचली अदालत ने अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 392 और 455 के अंतर्गत दोषी ठहराया है। यह दोषसिद्धि विश्वसनीय, पुष्ट और कानून के अंतर्गत टिकने योग्य विश्वसनीय साक्ष्यों पर आधारित है। अपीलकर्ता को दी गई सज़ा पर्याप्त है।

27. साक्ष्यों की गहन जाँच करने पर, हमें आक्षेपित निर्णय में कोई अवैधानिकता या त्रुटि नहीं मिली जिसके लिए हस्तक्षेप की आवश्यकता हो। अपील खारिज किए जाने योग्य है और तदनुसार इसे खारिज किया जाता

सही/-

टी.पी.शर्मा

न्यायाधीश

सही/-

एन.के.अग्रवाल

न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By- Yogita Naik, Advocate

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur